(न्)यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

(?)नं.:– 16 / 2022

तारीख रजू :– 27.01.2022

पीठासीन अधिकारी :– अमन चौधरी (आर.ए.एस.)

(स)तवेन्द्र पुत्र रामराज गुर्जर आयु 20 साल, जाति गुर्जर निवासी भोपुर शाहपुर (त)हसील महवा, जिला दौसा (राज0)

सायल

बनाम

1. टीकम पुत्र नारायण आयु 40 साल
2. भरतलाल पुत्र नारायण आयु 42 साल
3. इन्दिरा पत्नि भौरीलाल आयु 45 साल
4. कमल पुत्र भौरीलाल आयु 25 साल
5. विनिता पुत्री भौरीलाल आयु 22 साल
6. सुनिता पुत्री भौरीलाल आयु 21 साल
7. रामपति पत्नि नारायण आयु 45 साल
8. मूलचन्द्र पुत्र नारायण आयु 45 साल
9. तहसीलदार साहब टोडाभीम जिला करौली (राज0)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक–20.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर (6)7 / 1209 रकवा 0.10 है0, 69 / 1210 रकवा 0.11 है0, 70 रकवा 0.69 है0, 71 रकवा (0).75 है0, 72 रकवा 0.32 है0, 73 रकवा 0.32 है0 कुल किता 6 कुल रकवा 2.29 है0 (स्)थित ग्राम भैंसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0) में है जिसमें (प्र)ार्थी / वादी बहिस्सा 1 / 2 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्सा के

(?)उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। सहखातेदार भौरीलाल फौत हो गया है उसके वारिसान प्रति 3 ता 6 को पक्षकार बनाया गया है।

भूमि वर्णित मद नम्बर 1 वाद पत्र संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसको मौके पर सभी खातेदारान ने बहामी बँटवारा कर रखा है परन्तु उक्त भूमि का आज तक विधिवत बँटवारा नहीं हुआ है। खातेदारान बहामी बँटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है। कि प्रार्थी/वादी ने उक्त भूमि को प्यारेलाल सैनी पुत्र बंशी सैनी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है तथा प्रार्थी/वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण दर्ज होकर बतौर काश्तकार हिस्सा 1/2 नाम दर्ज है परन्तु प्रतिवादीगण आये दिन डौल, मैड का विवाद करते रहते है।

घटना दिनांक 15.01.2022 को सुबह 10 बजे की है कि प्रार्थी/वादी ने सभी प्रतिवादीगण से कहा कि भाईयो अपनी भूमि का विधिवत बँटवारा नहीं हुआ है तहसील में चलकर बँटवारा करा लेते है तो सभी प्रतिवादीगण एकदम नाराज हो गये और विधिवत बँटवारा कराने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि तेरी मर्जी हो सो कर हम कोई बँटवारा नहीं करवायेंगे तथा तेरी जमीन पर कब्जा करेंगे इसलिये वाद पत्र श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण की और से बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई

सायल वकील की बहस सुनी गई। मैने सायल की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकन करने से स्पष्ट होता है की ग्राम भैसा की भूमि खसरा नम्बर 67/1209 रकवा 0.10 है0 69/1210 रकवा 0.11 है0 70 रकबवा 0.69 है0 71 रकवा 0.75 है0 72 रकवा 0.32 है0 73 रकवा 0.32 है0 कुल किता 6 कुल रकवा 2.29 है0 साबिक अनुसार नवीन सही कायम किये गये है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी पक्ष में सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति हाने की बाध्य कोई आंशका प्रतीत नहीं होती । अत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अमन चौधरी R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली